राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –137/2023 निगरानी

1. ग्राम पंचायत उमा जी का खेड़ा, पंचायत समिति बिजौलिया जिला भीलवाड़ा जरिए सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत उमा जी का खेड़ा, पंचायत समिति बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

बनाम

1. दिनेश कुमार पुत्र शंकरलाल पाराशर निवासी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

–गैर निगराकार

प्रकरण संख्या –187/2023 निगरानी

1. शिवलाल पिता मोहनलाल धाकडबनाम निवासी फतेहपुर तहसील बिजौलिया

–निगराकार

1. दिनेश कुमार पुत्र शंकरलाल पाराशर निवासी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

–गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पत्रावली संख्या 40 सम्वत 2044 दिनांक 10.04.1987 तत्कालीन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत उमा जी का खेड़ा पंचायत समिति माण्डलगढ

उपस्थित –

1. श्री गणेश जोशी अधिवक्ता एवं श्री रमेशचन्द्र सारस्वत अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री अनिल धाकड अधिवक्ता – गैर निगराकार की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 13.11.2025

प्रकरण में आदेशिका दिनांक 01.05.2025 से उक्त दोनो प्रकरणों में एक पटटे बाबत् दो अलग अलग उनवान से निगरानी पेश होने से उक्त दोनों प्रकरणों को क्लब किया गया। उक्त दोनों प्रकरणों में एक साथ सुनवायी की जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा हैं।

निगराकार की ओर से निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती

13.11.25

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

किया गया। गैर निगराकार अपने अविधि मान्य पटटे के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग के समीपस्थ ग्राम फतेहपुरा, ग्राम पंचायत उमा जी का खेडा की बहुकीमती आबादी भूमि पर राजमार्ग से अटेच आबादी भूमि पर काबिज होना चाहता है, और इसी पटटे को गैर निगराकार को आधार बनाया जा रहा है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 30.03.1988 पत्रावली सं. 40 सम्वत 2044 तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत उमा जी का खेडा पंचायत समिति माण्डलगढ जिला भीलवाडा का पटटा को अपास्त फरमाये जाने का आदेश फरमाये।

गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि गैर निगराकार को वास्तविकता में जो पटटा वर्ष 1988 में जारी किया गया वह तत्कालीन ग्राम पंचायत उमा जी का खेडा की ओर से नियमो के अनुकूल जारी किया गया, जो कि ग्राम फतेहपुरा की बिलानाम भूमि पर न होकर ग्राम पुरोहितों का खेडा के खसरा नम्बर 01 गे. मु. आबादी में जारी किया गया। जिसके सम्बन्ध में निगराकार गलत तथ्य व जानकारी प्रस्तुत कर दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही करवाना चाह रहा है, जो न्यायोचित न होकर अनुचित कार्यवाही है। मूल रूप से जो बात निगराकार की ओर से कही गयी है उसमें 2400 वर्गफिट जो कि 60 बाई 40 वर्गफिट का भूखण्ड तत्कालीन ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव के द्वारा दिनांक 30.03.1988 पत्रावली संख्या 40 गैर निगराकार को जारी हुआ वो ग्राम पंचायत पुरोहितो का खेड़ा की आबादी भूमि है जो खसरा नम्बर 01 आबादी दर्ज हैं। जिस आबादी भूमि पर से दिनांक 22.06.2023 को अतिक्रमण हटाया गया वो ग्राम फतेहपुरा की आराजी सं. 10/1 थी जो ग्राम पंचायत उमा जी का खेडा के अधीन है लेकिन मूल रूप से जो पटटा गैर निगराकार को जारी किया गया वो ग्राम पुरोहितो का खेडा की सरहद में आता है जो कि आराजी संख्या 01 गे.मु. आबादी का हिस्सा है उस पर वर्षों से गैर निगराकार का वैध कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है जिसको जानबूझकर निगराकार द्वारा फतेहपुरा की आराजी में दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। निवेदन है कि निगराकार का निगरानी खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार ने वर्ष 1988 में जारीशुदा पटटे को निरस्त कराने बाबत् लगभग 35 वर्ष बाद निगरानी बिना किसी ठोस कारण के प्रस्तुत की हैं, जो मियाद बाधित ठहरती हैं। कब्जे के संबंध में निगराकार द्वारा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

13.11.25

अति. जिला कलक्टर

कोई प्रमाणिक दस्तावेजात पेश नही किये गये। निगराकार स्वयं ने अपनी निगरानी मेमों में अंकित किया कि "उक्त प्रश्नगत पटटे के संबंध में कोई पत्रावली ग्राम पंचायत में नही हैं एवं न ही कोई रिकार्ड संधारित किया गया हैं।" ऐसे में मिसल पत्रावली अथवा मिसल पत्रावली की सत्यापित प्रति के अभाव में पटटे की वैधता / अवैधता के संबंध में तथा प्रश्नगत पटटे का पंजीयन हो जाने से उक्त पटटे के संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय किया जाना न्यायोचित नही ठहरता हैं।

उपरोक्त विवेचन निगराकार की निगरानी आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.11.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)